

जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

23096
1-4-22

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी को गांव बिरोण्डी चक्रसेनपुर, परगना दादरी, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ४२ हेक्टेयर अधिग्रहीत के किसानों को दिये गये आबादी प्लाटों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

१. क्या गांव बिरोण्डी चक्रसेनपुर, परगना दादरी, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ४२ हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि के किसानों को ९० प्रतिशत आबादी प्लाटों दिये गये हैं अथवा नहीं।
२. यदि हॉ तो गांव बिरोण्डी चक्रसेनपुर की ४२ हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि के किसानों को दिये गये ९० प्रतिशत आबादी प्लाट की सूची उपलब्ध करायें।

संलग्न: पोस्टल आईर सं०-४६८-५१०५२६
ब्रेकन ३० - १००/-

Gujarati
प्रार्थी
११/४/२०२२

ज्ञानचन्द (एडवोकेट)
चैम्बर नं० २५६, जिला न्यायालय,
सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

~~Plot Land~~
~~R.T 1-20448+ 20449~~
~~u. 4. 22~~

Plot Land
∅
u/4/22

डाक टिकट

पोस्ट मास्टर POSTMASTER



डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO उन दंपत्ति आधकारी
उन्नर नोरमा विकास गांधकरण को
एक सौ रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT
गोदर नौराहा
के द्वाक्षर में भला क्यों।

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES
प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिखे दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

वैधता - जारी करने के मासित के अंतिम दिन से 24 महिने और छिंचियक कमीशन के शुभानाम जारी करने के मासित की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.